

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के सम्बंध में।

आउटसोर्स कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी का विवरण
(दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक)

आदेश सं०-1013-20 प्रवर्तन-(एम०डब्लू/15 दिनांक 29.09.2023 एवं सं०-4613-औ०सं०/2023-26(02)/ ए०एस०/06 दिनांक 18.10.2023

क्रम सं०	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रु० में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (रु० में) (01.10.2023 से 31.03.2024 तक)	कुल मजदूरी (रु० में)	दैनिक मजदूरी (रु० में)
1-	अकुशल	5750	4525	10275	395
2-	कुशल	7085	5576	12661	487

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)